पत्नी पर तेजाब फेंक छत से धक्का दिया, गंभीर

मंडी, 15 नवंबर (जनसत्ता)।

मंडी शहर के सैण मोहल्ला में एक पति ने पत्नी पर पहले कथित रूप से तेजाब फेंका और बाद में उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। महिला तेजाब से बुरी तरह से झुलस गई है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है।

41 वर्षीय महिला का परिवार मूलतः मंडी जिला के धर्मपुर का रहने वाला है और शहर के सैण मोहल्ले में रहता है। बताया जा रहा है कि महिला का पति मंडी शहर में चाय की दुकान चलाता है। दोनों के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। शनिवार शाम को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और पति ने तैश में आकर अपनी पत्नी पर कथित रूप से तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका आधा शरीर बुरी तरह से झुलस गया है।

जानकारी पाकर पहुंचे पड़ोसियों ने घायल महिला को तुरंत जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया। वहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। इस दंपति की 16 साल की बेटी और 18 साल का बेटा है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही घर को घेर लिया और बाहर से बंद घर की छत में छिपे हुए आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अमल में लाया।

बिलासपुर में ईवीएम की सुरक्षा में चूक का मामला

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग ने दिए न्यायिक जांच के आदेश

शिमला, 15 नवंबर (ब्यूरो)।

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बिलासपुर एक सरकारी कालेज में स्थित 'स्ट्रांग रूम' में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सुरक्षा में कथित चूक की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इसकी जिम्मेदारी बिलासपुर के अतिरिक्त उपायुक्त को सौंप दी गई है, जिन्हें जल्द से जल्द रपट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

बुधवार देर रात अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिव चौधरी की ओर से किए गए औचक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा में यह चूक सामने आई। उन्होंने पाया कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए पदस्थ पुलिसकर्मी अपनी तैनाती से अनुपस्थित थे। इसके बाद आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, कालेज के 'स्ट्रांग रूम' में श्री नयना देवी और बिलासपुर (सदर) निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पिछले विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम रखी हुई थीं, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में थीं। पुलिस ने विभागीय जांच भी शुरू कर दी है, जिसमें डीएसपी (लीव रिजर्व) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप धवल ने पुष्टि की है कि विस्तृत रपट मांगी गई है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, बिलासपुर (सदर) के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही साजिश रची जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम को बिना देखरेख के छोड़ने से छेड़छाड़ की गुंजाइश हो सकती है। इस बीच, बिलासपुर के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने पुष्टि की कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं तथा एडीसी को जांच का नेतृत्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि तीन दिनों के भीतर रपट मांगी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

> बिलासपुर के अतिरिक्त उपायुक्त को तीन दिन के भीतर रपट सौंपने का निर्देश दिया गया।
>
> पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि ईवीएम को बिना देखरेख के छोड़ने से छेड़छाड़ की गुंजाइश हो सकती है।

Ind-Swift Laboratories Ltd.

Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh - 160101 | Ph: +0172-2730503, 2730920
Website: www.indswiftlabs.com | CIN L24232CH1995PLC015553

STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

The un-audited Standalone & Consolidated Financial Results of the company for the quarter & half year ended 30th September, 2025 ('Financial Results') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on November 14, 2025. The Financial Results along with the Auditor Reports, have been posted on the Company's website at www.indswiftlabs.com and can be accessed by scanning the QR Code below:

Date: 14.11.2025
Place: Chandigarh

For Ind Swift Laboratories Limited
Sd/-
N.R. Munjal
Chairman & Managing Director

सरपंच ग्राम पंचायत कुताना
खण्ड मूनक, जिला करनाल (हरियाणा)

मछली पालन हेतु तालाबों की खुली बोली

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुताना, खण्ड मूनक, जिला करनाल (हरियाणा) में मछली पालन हेतु मन्दिर के पास वाला तालाब, खेल स्टेडियम के पास वाला तालाब, ड्रेन के पास वाला तालाब की खुली बोली वार्षिक पट्टे पर 17 नवंबर, 2025 को राजकीय सरकारी विद्यालय में प्रातः 10 बजे होनी निश्चित हुई है। इच्छुक पार्टियां समय पर पहुँच कर बोली दे सकते है। बोली की शर्तें मौके पर सुनाई जाएंगी।

सरपंच ग्राम पंचायत कुताना
खण्ड मूनक, जिला करनाल (हरियाणा)

सुनिश्चित करें कि नशा तस्करों को सुरक्षित पनाह न मिले : सुक्खू

शिमला से शुरू हुआ बड़ा जन जागरूकता अभियान

शिमला, 15 नवंबर (ब्यूरो)।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नशे के खिलाफ एक जन अभियान की शुरुआत की। शिमला के रिज से चौड़ा मैदान तक 'चिट्टा-विरोधी जागरूकता वाकथान' के साथ नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही 1,000 चिट्टा विरोधी स्वयंसेवकों की एक टीम बनाएगी जो पुलिस और जनता के बीच एक कड़ी का काम करेगी। जनभागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि नशा तस्करों को कोई सुरक्षित पनाह न मिले। यह पहल नशा माफियाओं और तस्करों का सफाया करने में ऐतिहासिक साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो युवाओं के भविष्य से खेलते हैं, वे मानवता के दुश्मन हैं। नशा तस्कर भी मानवता के दुश्मन हैं। हिमाचल का युवा अब नशा नहीं, चेतना लेकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने लोगों से नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं से दूर रहने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इस वाकथान में हजारों बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्रमुख हस्तियों के अलावा समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। चौड़ा मैदान में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य चिट्टे की चुनौती का सामूहिक रूप से सामना करेगा।

उन्होंने कहा कि चिट्टा मुक्त हिमाचल केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। नशे के खिलाफ हिमाचल के आंदोलन की गूंज न केवल राज्य के पहाड़ों में, बल्कि पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं, खासकर माताओं से इस आंदोलन को प्रभावी ढंग से चलाने की अपील की और कहा कि महिलाएं समाज को जागृत करने और नशा विरोधी अभियान का नेतृत्व करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। अगर सभी धार्मिक संस्थाएं चिट्टे के खिलाफ एकजुट हो जाएं, तो हम इस बुराई को खत्म करने से कोई नहीं रोक पाएगा।

चिट्टा व्यापार में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद करने और परिवारों को बर्बाद करने वालों के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारी पुलिस तैयार है, हमारी सरकार तैयार है और सबसे अहम बात यह है कि हमारे लोग चिट्टे का सफाया करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। मुख्यमंत्री ने उन अभिभावकों से भी मुलाकात की जिन्होंने अपने बच्चों को नशे की वजह से खो दिया है और उन्हें सहायता की पेशकश की।

बच्चों से बात करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।

एम के प्रोटीन्स लिमिटेड
CIN: L15500HR2012PLC046239
पंजीकृत कार्यालय: नारायणगढ़ रोड, गांव गरनाला अंबाला सिटी हरियाणा-134003
ई-मेल: compliancemkproteins@gmail.com वेबसाइट: http://www.mkproteins.in/

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2025 अनंकेक्षित	30.06.2025 अनंकेक्षित	30.09.2024 अनंकेक्षित	समाप्त छमाही 30.09.2025 अनंकेक्षित	30.09.2024 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2025 अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	3243.03	11494.60	3369.01	14737.63	9102.31	26770.60
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, सामान्य और/या असाधारण मदों से पूर्व)	99.98	470.51	234.01	570.49	567.72	1145.10
3	कर के पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और/या असाधारण मदों के बाद)	99.98	470.51	234.01	570.49	567.72	1145.10
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और/या असाधारण मदों के बाद)	74.67	351.32	174.48	425.99	422.61	839.74
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]	74.67	351.32	174.48	425.99	422.61	838.61
6	इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 1/- रु. प्रति)	3753.72	3753.72	3753.72	3753.72	3573.72	3753.72
7	अन्य इक्विटी (आरक्षित)	—	—	—	3618.84	2776.45	3192.86
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 1/- रु.) (जारी और बंद परिचालन के लिए) i. मूल:	0.02	0.09	0.04	0.11	0.11	0.22
	ii. तनुकृत:	0.02	0.09	0.04	0.11	0.11	0.22

1. उपर्युक्त अनंकेक्षित परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और 14 नवंबर, 2025 को हुई बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई।
2. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, 2015) के विनियमन 33 के तहत आवश्यक वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई है।
3. उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, 2015) के विनियमन 33 के तहत शेयर बाजार में दाखिल अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन परिणामों का सार है। अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.mkproteins.in तथा शेयर बाजार की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एम के प्रोटीन्स लिमिटेड
हस्ता/-
प्रमोद कुमार
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00126965

स्थान: अम्बाला
दिनांक: 14 नवंबर, 2025

Ind-Swift Laboratories Ltd.

Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh - 160 101 | Ph: +0172-2730503, 2730920
Website: www.indswiftlabs.com | CIN L24232CH1995PLC015553

SPECIAL WINDOW FOR RELODGEMENT OF PHYSICAL SHARES TRANSFER REQUESTS

This is to inform shareholders that as per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, a special window has been opened for re-lodgement of physical share transfer requests. The re-lodgement window shall remain open for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026 and is specifically applicable to transfer deeds lodged prior to April 01, 2019 that were rejected, returned, or remained unattended due to deficiencies in documents.

Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at rta@alankit.com or at their office at Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension New Delhi -110 055,Phone: 011-42541234 or the Company at investor@indswiftlabs.com for further assistance, within stipulated time.

While lodging the request for transfer with the RTA, the shareholder must have a demat account and provide Client Master List (CML) along with the transfer documents and share certificates. Transferred shares will only be issued in demat form, once all the documents are found in order by the RTA.

Place: Chandigarh
Date: 15.11.2025

For Ind-Swift Laboratories Limited
Sd/-
PARDEEP VERMA
VP-CORP. AFFAIRS & CS

HINDU GIRLS COLLEGE, JAGADHRI – 135 003
Distt. YAMUNA NAGAR (HARYANA)
WEBSITE: www.hgcjagadhri.com, EMAIL: hgcjagadhri_girls@rediffmail.com

ADVERTISEMENT

Invite applications alongwith all the self attested certificates/ documents for the Grant-in-Aid sanctioned post of Lady Principal (General) on regular basis within 21 days from the date of publication of this advertisement on the prescribed application form available from the college office on payment of Rs. 500/- or by post a bank demand draft of Rs. 550/- in favor of Hindu Girls College, Jagadhri. "No Objection Certificate" (if employed) & recent experience certificate (s) from the present employer must be attached. Application form can also be downloaded from college website and the same be submitted through speed post or in-person in the college office during working hours alongwith bank demand draft & all the self attested certificates/ documents within the prescribed period. One copy of the application & documents should be submitted to The Dean of Colleges, Kurukshetra University, Kurukshetra. Incomplete application or application received after the last date prescribed will not be entertained for any reason. Eligibility, age relaxation, reservation, qualification, pay scale, selection criteria and all other conditions will be as per latest norms/ guidelines of UGC/ KUK and DHE, Panchkula notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022 & 18.04.2023.

Rakesh Mohan
President

जनसुनवाई में आपदा प्रभावितों ने जाहिर की अपनी पीड़ा व गुस्सा

मंडी, 15 नवंबर (जनसत्ता)।

मंडी के साक्षरता भवन में शनिवार को राज्य के अलग-अलग जिलों मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल से आए 70 से अधिक आपदा प्रभावित लोगों ने एक दिन की जनसुनवाई में अपनी समस्याएं एक स्वतंत्र सात सदस्यीय पैनल के सामने रखीं। यह कार्यक्रम हिमालय नीति अभियान और कई जनसंगठनों की ओर से आयोजित दो दिवसीय जनता संवाद का हिस्सा था।

लगभग सभी वक्ताओं ने बताया कि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बेहद धीमी, अपारदर्शी और गैर-जवाबदेह है। कई लोगों को शुरुआती राहत के रूप में 1.30 लाख रुपए मिले, लेकिन मकानों और खेतों के नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति अब तक अटकी हुई है। सर्वेक्षण में नाम दर्ज करने और हटाने में अनियमितताएं सबसे अधिक सामने आईं।

सिराज से केसरी देवी सहित छह महिलाओं ने बताया कि सर्वेक्षण सूची में बदलाव बिना जानकारी और कारण बताए किए गए। किराया राहत को लेकर भी बड़ी शिकायतें आईं, कई परिवारों से कहा गया कि जब तक वे राहत शिविर में न रहें, तब तक उन्हें किराया मदद नहीं मिलेगी। विशेष राहत पैकेज की पात्रता को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। जिन परिवारों के पैतृक घर कहीं दूर गांवों में हैं, उन्हें यह कहकर हटाया गया कि उनके पास 'वैकल्पिक घर' है, जबकि वे वहीं घर खो चुके हैं जिसमें वे वास्तव में रहते थे। संयुक्त परिवारों से अलग हुए नए छोटे परिवारों को भी अलग इकाइयों की तरह नहीं माना जा रहा। सबसे अधिक नुकसान अकेली और एकल महिलाओं को हो रहा है, जिनके छोटे आश्रय नष्ट हो गए लेकिन उन्हें सूची में जगह नहीं मिली।

चौकी बलाड़ी के नीटू कुमार ने मलाना बांध टूटने से हुए नुकसान की बात रखी। उनका घर उजड़ गया, लेकिन आज तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। एक बड़ा मुद्दा भूमिहीन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का रहा। जोगिंदरनगर, बुंगरेल चौक (सिराज) और लिंडूर (लाहौल) से आए लोगों ने बताया कि घर असुरक्षित घोषित होने के बाद दोबारा निर्माण पर रोक है, लेकिन नई जमीन उपलब्ध नहीं। अधिकतर जमीन वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में होने से केंद्र की मंजूरी जरूरी है, जो वर्षों तक अटक जाती है।

> अलग-अलग जिलों से आए लोगों ने एक स्वतंत्र सात सदस्यीय पैनल के सामने रखीं समस्याएं।

यूनियन बैंक / Union Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: एस.सी.ओ. 64, 65, प्रथम तल, सैक्टर 17-बी, चंडीगढ़

[नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

चूंकि **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि और उस पर ब्याज की अदायगी करने के लिए कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए को मांग सूचना जारी की गई थी। कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं एवं सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन के नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **कब्जा** ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राशि और उस पर ब्याज के लिए **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों/गारंटरों का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्ति को मुक्त करवाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

शाखा/कर्जदार/गारंटरों के नाम	संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	बकाया राशि
बी/ओ: पॉलिटेक्निक चौक, अंबाला शहर (04962) कर्जदार: 1. **मेसर्स अंजना सेल्स कॉरपोरेशन प्रोप. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार**, तंगेल रोड, पी.पी.ओ. मुलाना, बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा -133203। 2. **श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार** (मालिक), मकान नंबर 426, लोहार मोहल्ला, पी.पी.ओ. मुलाना, बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा -133203। 3. **श्रीमती रूपा पत्नी श्री दिनेश कुमार**, मकान नंबर 426, लोहार मुहल्ला, पी.पी.ओ. मुलाना, बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा-133203। 4. श्रीमती रानी पत्नी श्री अशोक कुमार, मकान नंबर 426, लोहार मोहल्ला, पी.पी.ओ. मुलाना, बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा -133203।	1. माप 121.48 वर्ग गज की संपत्ति, वाका रकबा पट्टी भगेरू, एचबी संख्या 90, झारू माजरा रोड, मारकंडा नदी पुल के पास, मुलाना, उप-तहसील मुलाना, जिला अंबाला में स्थित जिसका स्वामित्व और आधिपत्य श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार के पास है और पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 52/1 दिनांक 12.04.2018 उप-तहसील मुलाना, जिला अंबाला में पंजीकृत है। सीमा इस प्रकार है: उत्तर: गली (27' 4"), दक्षिण: संपत्ति विनोद कुमार (27' 4"), पूर्व: राजीव कुमार का प्लॉट (40' 0"), पश्चिम: रितु रानी का गोदाम। **संपत्ति आईडी-** 200083066562 **और सुरक्षा आईडी-** 400081308727 2. माप 194.44 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली संपत्ति, खेवट संख्या 3/3, खसरा संख्या 21/15, प्लॉट संख्या 13, पट्टी बरनवल, उप-तहसील मुलाना, जिला अंबाला में स्थित जिसका स्वामित्व और आधिपत्य श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार के पास है और पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1315/1 दिनांक 28.12.2015 को उप-तहसील मुलाना, जिला अंबाला में पंजीकृत है। सीमा इस प्रकार है: उत्तर: खुला प्लॉट, दक्षिण: खुला प्लॉट, पूर्व: गली, पश्चिम: खुला प्लॉट। **संपत्ति आईडी-** 200093357876 **और सुरक्षा आईडी-** 400093158825।	06.08.2024	14.11.2025	11,75,462/- रु. तथा उस पर अतिरिक्त ब्याज और व्यय।
बी/ओ: निकोलसन रोड, अंबाला कैंट (30910) उधारकर्ता: 1. **मेसर्स पूजा एंटरप्राइजेज**, पता: प्लॉट नंबर 1374, गीता पब्लिक स्कूल के पास, साहा, अंबाला, हरियाणा - 133104। 2. पूजा पांचाल पत्नी दविंदर पांचाल प्रोप्रा. मेसर्स पूजा एंटरप्राइजेज, मकान नंबर 1374, गीता पब्लिक स्कूल के पास, बस स्टैंड के पास, साहा, अंबाला, हरियाणा- 133104।	भूमि और भवन - आवासीय संपत्ति, संपत्ति /मकान संख्या 1374, खसरा संख्या 94/18/1, 94//22/2/3/1/1/0, बस स्टैंड के पास, गीता पब्लिक स्कूल, साहा अंबाला कैंट हरियाणा, क्षेत्रफल 154 वर्ग गज, बिक्री विलेख संख्या 912 दिनांक 30.09.2025 के अनुसार श्रीमती पूजा रानी की। सीमा इस प्रकार है: पूर्व: भुजा 56' और श्री मोहन फौजी का मकान, पश्चिम: भुजा 56' और मास्टर गुरमेल सिंह का मकान, उत्तर: भुजा 24'-8" और अन्य मालिक की संपत्ति, दक्षिण: भुजा 24'-8" और गली। संपत्ति आईडी- 200081923577 और सुरक्षा आईडी- 400080196015।	03.09.2024	14.11.2025	47,02,837.09 रुपये तथा उस पर अतिरिक्त ब्याज और व्यय।

दिनांक: 15.11.2025 | स्थान: चंडीगढ़ | प्राधिकृत अधिकारी

हीरा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड

पंजीकृत ऑफिस: #598, सेक्टर 18-बी, चंडीगढ़ CIN:- L50101CH1989PLC009500
Tel:+91-92170-48111 | Email : hiraaccounts@gmail.com | www.hiraautomobiles.com

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छह महीने के लिए अ-लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार। (ईपीएस डेटा को छोड़कर लाख रुपये में)

S. N.	Particulars	तिमाही समाप्ति 30.09.2025 अलेखापरीक्षित	छह महीने समाप्त 30.09.2025 अलेखापरीक्षित	तिमाही समाप्ति 30.09.2024 अलेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	2668.09	4943.29	5804.97
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण और/या असाधारण मद्दों)	12.79	18.53	49.95
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण मद्दों और/या असाधारण मद्दों के बाद)	12.79	18.53	49.95
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मद्दों और/या असाधारण मद्दों के बाद)	9.16	13.90	36.95
5	इक्विटी शेयर पूंजी	275.34	275.34	275.34
6	आरक्षित निधि (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाए गए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)	1184.69	1184.69	1170.79
7	असाधारण मद्दों से पहले प्रति शेयर आय) (प्रत्येक 10 रुपये) मूल	0.33	0.50	1.34
	तरल	0.33	0.50	1.34

नोट: उपरोक्त 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छह महीनों के तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किया गया है। उपरोक्त परिणामों का पूरा प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.hiraautomobiles.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

स्थान: चंडीगढ़
दिनांक 14.11.2025

राहुलइंदर सिंह सिद्धू
(मैनेजिंग डायरेक्टर)
DIN-00447452

वकीलों ने किया अदालतों का बहिष्कार

मंडी, 15 नवंबर (जनसत्ता)।

मंडी की जिला अदालत परिसर के प्रांगण से वकीलों की कुर्सियां और मेज हटाए जाने का मामला गरमाने लगा है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन वकीलों ने इसी मुद्दे को लेकर बार संघ के आह्वान पर जिला भर की अदालतों का बहिष्कार जारी रखा।

इस मुद्दे को लेकर मंडी बार संघ के आग्रह पर राज्यव्यापी बहिष्कार का असर पूरे प्रदेश में दिखा और सभी अदालतों में न्यायिक कार्य लगभग ठप रहा। इससे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। उन्हें भी अगली तारीख लेनी पड़ी। वकीलों ने एकजुटता दिखाते हुए मंडी की सभी अदालतों का बहिष्कार किया। दोनों ही पक्ष अपने-अपने दावों पर अड़े हुए हैं। जिससे समाधान का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। वकीलों को उम्मीद है कि मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और वहां से अवश्य ही न्याय मिलेगा और समाधान निकलेगा।

मंडी बार संघ के प्रधान दिनेश सकलानी ने कहा कि यदि इसी तरह से टकराव चलते रहे तो कानूनी न्याय लोगों को कहां मिल पाएगा। इस दौरान बार संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि मामले का समाधान नहीं निकला तो सोमवार को वकील जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत का भी बहिष्कार करेंगे, जबकि अन्य अदालतों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा।